"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017 — भाद्रपद 10, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-87/2011/18. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करता है अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ. ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की सीमा	सेवा प्रदाय करने वाले लोक प्राधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगर पालिक निगम	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया हेतु भवन अनुज्ञा पूर्व/खुर्शी स्तर पर/पूर्णत: सह अधिभोग स्तर पर निरीक्षण प्रतिवेदन का वेबसाईट में प्रकाशन (नगरीय क्षेत्र)	2 दिवस	1- आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो) या 2-आयुक्त नगर पालिक निगम	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1-आयुक्त नगर पालिक निगम या 2-कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	नगर पालिका/ पंचायत	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया हेतु भवन अनुज्ञा पूर्व/खुर्शी स्तर/पूर्णत: सह अधिभोग स्तर पर निरीक्षण प्रारूप का वेबसाईट में प्रकाशन (नगरीय क्षेत्र)	2 दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
2.	नगर पालिक निगम	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुति के उपरांत खुर्शी स्तर पर स्थल निरीक्षण (नगरीय क्षेत्र)	7 दिवस	1- आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	1-आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1-आयुक्त नगर पालिक निगम
				या		या
				2-आयुक्त नगर पालिक निगम		2-कलेक्टर
	नगर पालिका/ पंचायत	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुति के उपरांत खुर्शी स्तर पर स्थल निरीक्षण (नगरीय क्षेत्र)	7 दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
3.	नगर पालिक निगम	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुति के उपरांत खुर्शी स्तर प्रमाण पत्र जारी किया जाना (नगरीय क्षेत्र)	8 दिवस	1- आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1-आयुक्त नगर पालिक निगम
				या		या
				2-आयुक्त नगर पालिक निगम		2-कलेक्टर
	नगर पालिका/ पंचायत	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुति के उपरांत खुर्शी स्तर प्रमाण पत्र जारी किया जाना (नगरीय क्षेत्र)	8 दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
4.	नगर पालिक निगम	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुति के उपरांत पूर्णता/ अधिभोग स्तर पर निरीक्षण (नगरीय क्षेत्र)	7 दिवस	1- आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1-आयुक्त नगर पालिक निगम
				या		या
				2-आयुक्त नगर पालिक निगम		2-कलेक्टर
	नगर पालिका/ पंचायत	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुति के उपरांत पूर्णता/ अधिभोग स्तर पर निरीक्षण (नगरीय क्षेत्र)	7 दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	नगर पालिक निगम	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुति के उपरांत भवन पूर्णत: सह अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया जाना (नगरीय क्षेत्र)	8 दिवस	1- आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1-आयुक्त नगर पालिक निगम
				या		या
				2-आयुक्त नगर पालिक निगम		2-कलेक्टर
	नगर पालिका/ पंचायत	भवन अनुज्ञा प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुति के उपरांत भवन पूर्णत: सह अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया जाना (नगरीय क्षेत्र)	8 दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
6.	नगर पालिक निगम	सम्पत्तिकर पंजी में सम्पत्ति का पंजीयन (नगरीय क्षेत्र)	7 दिवस	1- आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)	आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	1-आयुक्त नगर पालिक निगम
				या		या
				2-आयुक्त नगर पालिक निगम		2-कलेक्टर
	नगर पालिका/ पंचायत	सम्पत्तिकर पंजी में सम्पत्ति का पंजीयन (नगरीय क्षेत्र)	7 दिवस	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ-4-87/2011/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-87/2011/18, दिनांक 1-9-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 1st September 2017

NOTIFICATION

No. F-4-87/2011/18. — In exercise of the powers conferred under Section 3, 4, 5 and 7 of Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act 2011(No. 23 of 2011) the State Government hereby notify the services provided by the department, time limit for the services to be provided and designation of the prescribed officer, competent officer and appellate officer in the schedule given below :-

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Office/ Body/ Agency	Service to be provided in terms of the Chhattisgarh Lok Seva Guarantee Act, 2011	Time limit for service	Public authority responsible to deliver the service	Competent Authority	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Municipal Corporation	Under Building Permission process, publication of inspection report on website for prior/plinth level/completion and occupation level (Urban Area)	2 days	1-Officer authorized by the Commissioner (if so authorized), or the, 2-Municipal Commissioner	Officer authorized by the Commissioner	1-Municipal Commissioner or the 2-Collector
	Municipality/ Nagar Panchayat	Under Building Permission process, publication of inspection report on website for prior/plinth level/completion and occupation level (Urban Area)	2 days	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub-Divisional Officer (Revenue)
2.	Municipal Corporation	After receipt of application under Building permission process, site inspection at plinth level (Urban Area)	7 days	1-Officer authorized by the Commissioner (if so authorized), or the, 2-Municipal Commissioner	Officer authorized by the Commissioner	1-Municipal Commissioner or the 2-Collector
	Municipality/ Nagar Panchayat	After receipt of application under Building permission process, site inspection at plinth level (Urban Area)	7 days	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub-Divisional Officer (Revenue)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Municipal Corporation	After receipt of application under Building permission process, issue of permission at plinth level (Urban Area)	8 days	1-Officer authorized by the Commissioner (if so authorized), or the, 2-Municipal Commissioner	Officer authorized by the Commissioner	1-Municipal Commissioner or the 2-Collector
	Municipality/ Nagar Panchayat	After receipt of application under Building permission process, issue of permission at plinth level (Urban Area)	8 days	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub-Divisional Officer (Revenue)
4.	Municipal Corporation	Under Building permission process, site inspection at/ completion and occupation level (Urban Area)	7 days	1-Officer authorized by the Commissioner (if so authorized), or the, 2-Municipal Commissioner	Officer authorized by the Commissioner	1-Municipal Commissioner or the 2-Collector
	Municipality/ Nagar Panchayat	Under Building permission process, site inspection at/ completion and occupation level (Urban Area)	7 days	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub-Divisional Officer (Revenue)
5.	Municipal Corporation	Under Building permission process issue of completion and occupation certificate (Urban Area)	8 days	1-Officer authorized by the Commissioner (if so authorized), or the, 2-Municipal Commissioner	Officer authorized by the Commissioner	1-Municipal Commissioner or the 2-Collector
	Municipality/ Nagar Panchayat	Under Building permission process issue of completion and occupation certificate (Urban Area)	8 days	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub-Divisional Officer (Revenue)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Municipal Corporation	Registration of property in Property Tax Register (Urban Area)	7 days	1-Officer authorized by the Commissioner (if so authorized), or the, 2-Municipal Commissioner	Officer authorized by the Commissioner	1-Municipal Commissioner or the 2-Collector
	Municipality/ Nagar Panchayat	Registration of property in Property Tax Register (Urban Area)	7 days	Chief Municipal Officer	Chief Municipal Officer	Sub-Divisional Officer (Revenue)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.